



ग्राम्य विकास विभाग  
उत्तराखण्ड शासन  
देहरादून

संख्या: 3373 / पी1-26(XII) / यू.आर.आर.डी.ए. / 14

दिनांक: 05 फरवरी, 2014

नीचे

कार्यालय ज्ञाप

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-XII में ग्रामीण असंयोजित बसावटों को बारहमासी सम्पर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु Regular PMGSY के अन्तर्गत 132 मार्गों, लम्बाई 1304.62 किमी०, लागत ₹ 620.07 करोड़ एवं RRP-II (Assistance of World Bank) के अन्तर्गत 34 मार्गों, लम्बाई 317.31 किमी०, लागत ₹ 151.00 करोड़, कुल 166 कार्य, लम्बाई 1621.93 किमी०, लागत ₹ 771.07 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के पत्र सं० पी-17024/27/2013-RC दिनांक 04 फरवरी, 2014 के द्वारा प्रदत्त की गयी है। फेज-XII में Regular PMGSY के अन्तर्गत स्वीकृत 132 मार्गों हेतु 05 वर्षीय अनुरक्षण एवं रखरखाव पर होने वाला व्यय ₹ 65.98 करोड़ एवं RRP-II (Assistance of World Bank) के अन्तर्गत स्वीकृत 34 मार्गों हेतु ₹ 16.39 करोड़, कुल 166 कार्यों हेतु व्यय ₹ 82.37 करोड़, शासनादेश सं० 2078/आई1-01/पी०एम०जी०एस०वाई०/03 दिनांक 17 दिसम्बर 2003 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में फेज-XII के अन्तर्गत Regular PMGSY एवं RRP-II के मार्गों के निर्माण हेतु कुल ₹ 771.07 करोड़ तथा 05 वर्षों के अनुरक्षण हेतु कुल ₹ 82.37 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कार्यवार परिशिष्ट-‘क’ एवं ‘ख’ के अनुसार प्रदत्त की जाती है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

*Man/A.E./A*  
*24/2/14 A.E.*

(विनोद फोनिया)

सचिव,

ग्राम्य विकास विभाग

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, कुमाऊँ क्षेत्र, अल्मोड़ा एवं गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पी०आई०यू० (पी०एम०जी०एस०वाई०), उत्तराखण्ड।

संलग्नक: यथोपरि।

सचिव,

ग्राम्य विकास विभाग

60 Hz